तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	भगवान सिंह बनाम आसाराम
26.08.25	बहुलाब फरीकैन उप०, दावा वादी डिक्री किया जाता है, विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (दुर्गा प्रसाद मीणा) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) नगर (डीग) राज०

न्यायालय सहायक कलक्टर नगर (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 06/2020 तारीख दायरा:–20.01.2020

भगवान सिंह पुत्र मोहरपाल जाति जाटव निवासी ग्राम मूडियॉ तहसील नगर जिला डीग।

----वादी

बनाम

1. जगराम पुत्र स्व0 श्री सामन्ता
2. मुस0 मीरा पत्नी स्व0 भगवान सिंह
3. बलवीर पुत्र स्व0 भगवान सिंह
4. विजय सिंह पुत्र स्व0 भगवान सिंह
   जातियान जाटव निवासी ग्राम मुडियॉ तहसील नगर जिला डीग।
5. वीरेन्द्र पुत्र स्व0 भगवान सिंह जाति जाटव निवासी ग्राम मूडियॉ तहसील नगर जिला डीग।
6. मुस0 भौंटा पुत्री स्व0 भगवान सिंह पत्नी स्व0 कल्लू जाति जाटव निवासी ग्राम गुलपाडा तहसील नगर जिला डीग।
7. मुस0 रनजीता पुत्री स्व0 भगवान सिंह पत्नी राकेश जाति जाटव निवासी गुलपाडा तहसील नगर जिला डीग।
8. मुस0 चन्द्रवती पुत्री सामन्ता पत्नी सोहनलाल जाति जाटव निवासी ग्राम धोलावता तहसील कठूमर जिला अलवर।
9. मुस0 सिंगारी पुत्री सामन्ता पत्नी मंगल जाति जाटव निवासी ग्राम धोलावता तहसील कठूमर जिला अलवर।
10. तहसीलदार साहब तहसील नगर जिला डीग।

-------प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित:–

1. अधिवक्ता श्री विजयराम वादी।
2. अधिवक्ता श्री मेघसिंह भगौर प्रतिवादी संख्या 01

निर्णय

दिनांक:–26.08.2025

वादी द्वारा यह वाद इस आशय का संस्थित किया है कि आराजी खसरा नं0 95/0.87 बाके ग्राम सुंदरावली तहसील नगर में स्थित है। सबूत मे नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 पेश की है। विवादित आराजी के 16/87 भाग को श्री फुलसिंह पुत्र घण्टोली कौम चमार साकिन मूडियॉ तहसील नगर से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 19.05.2000 को कीमतन 60,000 रूपये मे क्रय कर वादी द्वारा कब्जा प्राप्त कर लिया, उसी दिन से वादी भगवानसिंह विवादित आराजी के 16/87 हिस्से पर काबिज काश्त है। लकिन राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियों की लापरवाही के कारण वर्तमान जमांबदी मे वादी को विवादित आराजी के 4/87 हिस्से पर राजस्व रिकॉर्ड मे नाम दर्ज कर दिया गया है तथा प्रतिवादीगण के पिता/दादा सामन्ता पुत्र बलमत को विवादित आराजी के 71/348 हिस्से पर राजस्व रिकॉर्ड मे इंद्राज कर दिया गया है। सामन्ता पुत्र बलमत की मृत्यू हो चुकी है जिसके वारिसान प्रतिवादीगण है। विवादित आराजी से बाद बयनामा प्रतिवादीगण का कोई

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)
नगर (डीग) राज0

संबध व सरोकार मौके पर नही रहा है। वादी ने प्रतिवादीगण से उक्त गलत इंद्राजात को दुरूस्त कराये जाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने दिनांक 04.07.2019 को ग्राम मूडियॉ मे ऐलानिया घोषणा कर कहा कि वे वर्तमान इंद्राजात की आड मे वादी की कयशुदा भूमि को दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुतंकिल कर देगे तथा कब्जे काश्त में मजाहमत मदाख्लत करके रहेगे। यदि प्रतिवादीगण अपनी इस धमकी मे कामयाब हो गये तो वादी को भारी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति जर्रे नकद अथवा अन्य किसी प्रकार से संभव नही हो सकेगी। अत दावा वादी डिकी किया जाकर वर्तमान खसरा नं0 95/0.87 बाके ग्राम सुदंरावली नगर पर प्रतिवादीगण के पिता/दादा सामन्ता पुत्र बलमत के नाम हो रहे 71/348 हिस्से के इंद्राज को कलमजन किया जाकर वादी को 16/87 हिस्से पर तथा प्रतिवादीगण को 23/348 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ने न्यायालय मे मय वकील उपस्थित होकर इकबाल जवाब दावा पेश किया तथा शेष प्रतिवादी संख्या 02 से 09 की विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 10 की और से पैरोकार सरकार ने जवाब दावा पेश नही किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वादी द्वारा वाद पत्र मे वर्णित तथ्यो को ही दोहराते हुये पंजिबद्व विकय पत्र दिनांक 19.05.2000 के अनुसार ग्राम सुदंरावली के आराजी खसरा नं0 95/0.87 का 16/87 भाग का अपने खातेदारी घोषणा तथा हाल जमाबंदी मे सामन्ता पुत्र बलमत हिस्सा 71/348 व वादी के नाम दर्ज हिस्सा 4/87 को कलमजन किया जाकर वादी का 16/87 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 23/348 हिस्से का काश्तकार घोषित किया जाने का निवेदन किया गया है।

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी संवत 2076 से 2079 खाता संख्या 137 के खसरा नं0 95/0.87 ग्राम सुदंरावली का अवलोकन किया गया। उक्त जमाबंदी मे खसरा नं0 95/0.87 मे भगवान सिंह पुत्र मोहरपाल हिस्सा 4/87 व सामन्ता पुत्र बलमत हिस्सा 71/348 दर्ज रिकॉर्ड है। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारो के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली मे शामिल पंजिबद्व विकय पत्र दिनांक 20.04.1998 के अवलोकन से पाया गया है कि सामन्ता वल्द बलमत द्वारा ग्राम सुदंरावली के आराजी खसरा नं0 95/0.87 का 1/4 हिस्सा मे से 0.16 हिस्सा का विकय फुलसिंह वल्द घण्टोली कौम जाटव साकिन मूडियॉ को किया गया है जिसका नामांतरकरण संख्या 715 दिनांक 27.08.1998 से फुलसिंह पुत्र घण्टोली के नाम स्वीकार हुआ है। तत्पश्चात् फुलसिंह वल्द घण्टोली द्वारा दिनांक 19.05.2000 को ग्राम सुदंरावली के आराजी खसरा 95/0.87 के 16/87 भाग का विकय पत्र भगवान सिंह वल्द मोहरपाल कौम जाटव साकिन मूडियॉ के पक्ष मे निष्पादित किया गया है। जिसका नामा. संख्या 852 दिनांक 29.06.2000 से भगवान सिंह पुत्र मोहरपाल जाति जाटव साकिन मूडियॉ हिस्सा 16/87 दर 1/4 स्वीकार हुआ है। पत्रावली मे शामिल दोनो बयनामो से यह स्पष्ट है कि खसरा नं0 95/0.87 बाके ग्राम सुदंरावली मे 1/4 हिस्से मे से खातेदार सामन्ता वल्द बलमत द्वारा 0.16 है0 का बेचान फुलसिंह पुत्र घण्टोली को किया व फुलसिंह पुत्र घण्टोली द्वारा 16/87 हिस्से का बेचान वादी को किया गया है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा भी वादीगण का दावा

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
नगर (डीग) राज०

अनुतोष अनुसार ही डिक्री किये जाने की सहमति प्रदान की गई है। अत वादी का वाद न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाना उचित है।

:: आदेश ::

अत दावा वादी स्वीकार किया जाकर हाल जमाबंदी ग्राम सुदंरावली के खसरा नं0 95/0.87 मे दर्ज भगवान सिंह पुत्र मोहरपाल हिस्सा 4/87 व सामन्ता पुत्र बलमत हिस्सा 71/348 को कलमजन किया जाकर वादी भगवान सिंह पुत्र मोहरपाल जाति जाटव का हिस्सा 16/87 व सामन्ता पुत्र बलमत का हिस्सा 23/348 दर्ज किया जावें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

26/8/25

(दुर्गा प्रसाद मीना) R.A.S.
सहायक कलक्टर
नगर (डीग)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
नगर (डीग) राज0

भगवानसिंह बनाम जगराम

अन्तिम डिकी व मुकदमे इब्तनाई

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

तारीख दायरा:–20.01.2020

वाद संख्या :– 06/2020

भगवान सिंह पुत्र मोहरपाल जाति जाटव निवासी ग्राम मूडियॉ तहसील नगर जिला डीग।

––––वादी

बनाम

1. जगराम पुत्र स्व0 श्री सामन्ता
2. मुस0 मीरा पत्नी स्व0 भगवान सिंह
3. बलवीर पुत्र स्व0 भगवान सिंह
4. विजय सिंह पुत्र स्व0 भगवान सिंह
   जातियान जाटव निवासी ग्राम मुडियॉ तहसील नगर जिला डीग।
5. वीरेन्द्र पुत्र स्व0 भगवान सिंह जाति जाटव निवासी ग्राम मूडियॉ तहसील नगर जिला डीग।
6. मुस0 भौंटा पुत्री स्व0 भगवान सिंह पत्नी स्व0 कल्लू जाति जाटव निवासी ग्राम गुलपाडा तहसील नगर जिला डीग।
7. मुस0 रनजीता पुत्री स्व0 भगवान सिंह पत्नी राकेश जाति जाटव निवासी गुलपाडा तहसील नगर जिला डीग।
8. मुस0 चन्द्रवती पुत्री सामन्ता पत्नी सोहनलाल जाति जाटव निवासी ग्राम धोलावता तहसील कठूमर जिला अलवर।
9. मुस0 सिंगारी पुत्री सामन्ता पत्नी मंगल जाति जाटव निवासी ग्राम धोलावता तहसील कठूमर जिला अलवर।
10. तहसीलदार साहब तहसील नगर जिला डीग।

––––––प्रतिवादीगण

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट.</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी श्री विजयराम अभिभाषक मिनजानिब मुद्दई श्री मेघसिंह भगौर अभिभाषक मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि दावा वादी स्वीकार किया जाकर हाल जमाबंदी ग्राम सुदंरावली के खसरा नं0 95/0.87 मे दर्ज भगवान सिंह पुत्र मोहरपाल हिस्सा 4/87 व सामन्ता पुत्र बलमत हिस्सा 71/348 को कलमजन किया जाकर वादी भगवान सिंह पुत्र मोहरपाल जाति जाटव का हिस्सा 16/87 व सामन्ता पुत्र बलमत का हिस्सा 23/348 दर्ज किया जावें। डिकी बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.08.2025 को जारी की गयी।

26/8/25

(दुर्गा प्रसाद मीना)R.A.S.
सहायक कलक्टर
नगर (डीग)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नगर (डीग) राज0

न्यायालय एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट राजस्थान सत्यमेव जयते नगर (डीग)